

4086

संख्या- 6108 / 11(2) / 14-33(प्रोआ0) / 2014

अरविन्द सिंह ह्याकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

दायरी नं० 92

फाइल नं० 100

दिनांक 11/12/14

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 19 दिसम्बर, 2014

विषय-

वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 24 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0मि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 24 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 150.30 किमी0 + 09 सेतु सहित तथा लागत ₹ 1670.59 लाख है, पर 10000000 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1663.79 लाख (₹ सोलह करोड़ त्रिसठ लाख उन्नासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में संलग्नक के कॉलम 10-0 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 24 कार्यों हेतु ₹ 2.40 लाख (₹ दो लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों की अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को सम्यबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। उपरोक्त शासनादेश सं०:-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो वरें ग्रीडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उरसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में प्रशासकीय व्यय अनुदान सं०-22-लेखाधीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिच्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-06-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 अन्तर्गत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता

उत्तराखण्ड लो० नि० वि०
राजीव

कम संख्या 14 में संकेत

1589
24/12/14

6

किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता

में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2015 तक सुनिश्चित किया जायेगा।
कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत
में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क
स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो
स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

कार्य के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप
रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते
कार्यवाही की जाय।

संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान
संख्यापीरक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिष्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत
व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।

आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 582/XXVII(2)/2014 दि०-17 दिसम्बर, 2014 में
संज्ञा से जारी किये जा रहे हैं।

प्रधोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव

/ 1 (2) / 14-33(प्र0आ0) / 2014 तददिनांक।

- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-
- आलोचक (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/मैथीलाल।
- आयुक्त जिलाधिकारी।
- आयुक्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
- आयुक्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- आयुक्त, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रधानमंत्री घोषणा अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
- आयुक्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
- गार्ड फुक।

छायाप्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
राज्यीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीखेत

आज्ञा से.

(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

संख्या पत्र सं. 1589/20 मातां 080/2014 दि 02.11.2014

उपरोक्त कार्य पत्र निर्माण कार्य को लेकर
एक आवश्‍यक कार्यवाही हेतु जारी है।

1. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग
देहरादून / पो.डी. / कलौड़ा

2. आंचलिक कार्यालय प्रयाग / दिल्ली / भाठवा / वारहवा /
सिर्वा / वन लोड निर्माण विभाग, कलौड़ा / जिला / जे.टी.हरि
पो.डी. / हारेद्वार / बगौद्वार ।

3. बजट / प्रावधान कार्य विभागाध्यक्ष कार्यालय लो.नि.वि.0
देहरादून।

श्री पारे/श्री
30/11/14

छायाप्रति स्थापित
सहायक अभियन्ता
राजनी खत
पान्तीय खण्ड लो. नि. वि.
रानीखत

मुख्य प्रशासिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून
20/11/14



संख्या:- 6108/111(2)/14-33(प्रोआ0)/2014 दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 का संलग्नक

(धनसहि लाख ₹ में)

कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में खय हेतु अभ्युक्त धनसहि
2	3	4	5
जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर के अन्तर्गत हमलीखेड़ा में भगवानपुर मेन सेड से सीर-ऊर्जा की पीयूरी तक पी०सी० द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य।	3.30	15.77 (₹ 6.27 लाख + ₹ 9.50 लाख - उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत घुड़दौड़ी-वेवप्रयाग मार्ग पर बालगणा गांव से वालमी को जाने वाले मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.50	29.18 (₹ 14.63 लाख + ₹ 8.55 लाख - उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में वल्भरा स्थान के चार मोटर मार्ग के कि०मी० 1 में 30 मी० स्पान के कि०मी० 15 में 105 मी० स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य।	30 mt. + 105 mt.	12.60	0.10
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत विकियासैण मानिला डोटियाल मोटर मार्ग पर विकियासैण के समीप रामगंगा नदी पर 84 मी० विस्तार के (1.8 लेन क्लास 'ए' लोडिंग) स्टील ट्रस (गर्डर) मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	84 mt.	8.40	0.10
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत खल्बुवा के समीप मशानगढ़ी नदी पर 70मी० विस्तार के पैवल झूला पुल का निर्माण कार्य।	70 mt.	2.80	0.10
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के विकास खण्ड स्याल्दे के अन्तर्गत मटेला गांव के समीप खतरौन नदी पर 38 मी० स्पान के स्टील गर्डर पैवल सेतु का निर्माण कार्य।	36 mt.	1.44	0.10
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र-वेवप्रयाग में वेवप्रयाग हिण्डोलाखाल रौड़धार टिहरी प्रमुख जिला मार्ग की कि०मी० 40 से 65 एवं वेवप्रयाग हिण्डोलाखाल रौड़धार मोटर मार्ग के कि०मी० 1 से 7 का डेढ़ लेन में परिवर्तन।	33.00	82.50 (₹ 7.59 लाख + ₹ 74.91 लाख - उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सल्ट में गुवलेख-गुवलेख-मुसमोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	19.00	270.75 (₹ 111.15 लाख + ₹ 159.60 लाख - उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सल्ट में तनशालीसैण-कालिकाखाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	16.00	228.00 (₹ 93.60 लाख + ₹ 134.40 लाख - उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सल्ट में गढ़कोट-भीतकोट-गुलार-कटपतिया मोटर मार्ग सहित निर्माण कार्य।	11.00	156.75 (₹ 64.35 लाख + ₹ 92.40 लाख - उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

अथवा प्रति सत्यापित

(Signature)

सहायक अधिष्ठाता

उत्तराखण्ड को० नि० वि०
रामखंड

शासनावेश संख्या:- 6109/111(2)/14-33(प्रौआ0)/2014 दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 का संलग्नक

11	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:- 438/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सल्ट में पथीडिया-ढणोस - उनियाल गांव-तल्ली अजोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.500	106.88 (₹ 43.88 लाख + ₹ 63.00 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
12	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:- 439/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सल्ट में तड़म- बौरडा-घुघुतीधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	14.00	199.50 (₹ 81.90 लाख + ₹ 117.60 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
13	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:- 440/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सल्ट में पालपुर-सुनोनी- चीना-सीगड-जौरासी मोटर मार्ग का पुल सहित निर्माण कार्य।	10.00 + 72 mtr.	156.70 (₹ 65.70 लाख + ₹ 91.00 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
14	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0:- 441/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र-सल्ट में मझेडा-कुमारती - सारे-नौरड़ मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00	43.31 (₹ 29.25 लाख + ₹ 14.06 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
15	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-453/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आरे से सरयू नदी में झिरीली (धिरीली) गांव को जोड़ने हेतु झूला पुल का निर्माण।	72 mt	7.42 (₹ 4.22 लाख + ₹ 3.20 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
16	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-447/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में स्यासीघोरा से सिमस्यारी सरना होते हुए दमोला तक 3.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	56.97 (₹ 17.55 लाख + ₹ 39.42 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
17	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-446/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में मनियाछीना से भाटगाड़ होते हुए पगना तक 4.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	68.04 (₹ 23.40 लाख + ₹ 44.64 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
18	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-448/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में बेहरगांव से बक्सरझूना खोला तक 03 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	51.03 (₹ 17.55 लाख + ₹ 33.48 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
19	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-444/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली खरेही क्षेत्र के सप्तेश्वर सरयू नदी में मोटर पुल का निर्माण	72 mt	8.90 (₹ 7.78 लाख + ₹ 1.12 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
20	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-443/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत खरेही क्षेत्र में पगना से सप्तेश्वर तक 03 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	51.03 (₹ 17.55 लाख + ₹ 33.48 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
21	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-452/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत भयू गुलेर मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मण गिरी के गांव तक 8.00 कि.मी. मोटर मार्ग का कार्य।	8.00	90.00 (₹ 46.80 लाख + ₹ 43.20 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

अध्यापति सत्यामित

मंत्रालय अभियन्ता

मंत्रालय, खण्ड लो० नि० वि०

राम खन

सासनादेश संख्या:- 6/09/111(2)/14-33(प्रोआ0)/2014 दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 का संलग्नक

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-454/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पल्सों से चौरा गांव के लिए पुंगर नदी पर 70 मी. स्पान झूला पुल का निर्माण।	70 mt.	3.42 (₹ 3.21 लाख + ₹ 0.21 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-480/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दोफाड़ से पपी रताइस मोटर मार्ग में जासरीकरण का कार्य।	5.00	0.85	0.10
जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-भीमताल में डेलकूना से सुरालगाव तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	3.00	17.55	0.10
योग:-	150.30 + 09 Brg	1663.79	2.40

(कुल ₹ दो लाख बीस हजार मात्र)

(Signature)
(प०एस० पांगती)
उप सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

(Signature)
मधीक्षण अभियन्ता,
उपम नृत, लोक निर्माण विभाग
देहरादून

Photo copy attested
(Signature)
सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० रानीपेट
मुख्यालय-रामनगर

यसक 4745/199 दि. - 01/14

दि. 31.12.2014

प्रतिनिधि अतिशय अतिथना प्रतीय खण्ड, लो० नि० वि०
रानीपेट को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अप्राप्ति सत्यापित

प्रतिनिधि इस कार्यालय के प्राथमिक कार्य हेतु।

प्रतिनिधि इस कार्यालय के कार्य कार्य एवं प्रत्यक्ष मनी अका,
सहायकी हेतु।

(Signature)
महाप्रक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रानीपेट

NO-92/111(2)/14-33

(Signature)
मधीक्षण अभियन्ता,
उपम नृत, लोक निर्माण विभाग
देहरादून

- 1- खण्ड प्रमुख कार्यालय / खण्ड प्रमुख कार्यालय
- 2- उ० वि० / वज० महाप्रक
- 3- गौड फाईल हेतु

संलग्नक पृष्ठ

(Signature)